REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246789 CG-DL-E-23062023-246789

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2637]नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945No. 2637]NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून , 2023

का.आ. 2757(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
631	319बी	रेवासा गाँव (वाराणसी) के निकट एनएच-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उत्तर
		प्रदेश राज्य में चंदौली, बिहार राज्य में चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुटुम्बा,
		इमामगंज, झारखंड राज्य में हंटरगंज, चतरा, पत्थलगडा, सेमरिया, चुरचू, पेटरवार,
		कसमार, जयपुर, पुरुलिया, पुंछा, तलडंगरा, गहरबेटा, घाटल को जोड़ते हुए और पश्चिम
		बंगाल राज्य में बगनान के निकट एनएच-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला
		राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/7/2023-पी एंड एम]

अभय जैन, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसूचना संख्या का. आ. 2254 (अ), दिनांकित 23 मई, 2023 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2023

S.O. 2757(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
631	319B	The highway starting from its junction with NH-19 near Rewasa Village (Varanasi) connecting Chandauli in the State of Uttar Pradesh, Chand, Chainpur, Rampur, Tilouthu, Kutumba, Imamganj in the State of Bihar,Hunterganj, Chatra, Pathalgada, Semaria, Churchu, Petarwar, Kasmar in the State of Jharkhand, Jaipur, Purulia, Puncha, Taldangra, Gaharbeta, Ghatal and terminating at its junction with NH-16 near Bagnan in the State of West Bengal.

[F. No. NH-14012/7/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2254 (E), dated 23rd May, 2023.